राजस्व लोक अदालतअभियान
न्यायआपकेद्वार–2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खोड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 – 35 / 2014 / वाद पत्र	तारीख दायर 09.05.2014	तारीख फैसला 07.06.2017

उनवान

बलदेव पिता सोबक्ष मीणा निवासी डाबला चान्दा तह0 शाहपुरा – वादी

बनाम

1– फूली पत्नि घीसालाल मीणा नि0 डाबला चान्दा तह0 शाहपुरा
2–4 घीसू,सियाराम,लक्ष्मण पिता लखमा मीणा नि0 डाबला चान्दा
5– भोली पुत्री लखमा मीणा निवासी डाबला चान्दा पत्नि घीसा मीणा हाल निवासी हुणा का खेड़ा (पपलाज) तह0 कैकड़ी
6– गीता पुत्री लखमा मीणा नि0 डाबला चान्दा पत्नि भेरू मीणा हाल निवासी अरनिया रांसा तह0 शाहपुरा
7– लाड पुत्री लखमा मीणा निवासी डाबला चान्दा पत्नि मांगीलाल मीणा हाल निवासी भोजपुर तह0 शाहपुरा
8– सोसर पत्नि लखमा मीणा नि0 डाबला चान्दा
9– प्रबन्धक, एस0बी0बी0जे0 शाखा शाहपुरा
10– तहसीलदार, शाहपुरा – प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 आर0टी0ए0

उपस्थित :– 1. श्री अक्षयराज रेबारी : अधिवक्ता वादीगण
2. प्रतिवादीगण नं0 1, 2, 4 स्वयं उपस्थित

निर्णय

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम डाबला चान्दा प0ह0 डाबला चान्दा मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आ0न0 1133 रकबा 0.53 है0, आ0न0 1134 रकबा 0.39 है0 कुल किता 2 रकबा 0.92 है0 भूमि स्थित है जिसमे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा यानि कि वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का भी 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण 2 लगायत 8 का 1/3 हिस्सा चालू जमाबन्दी मे दर्ज रेकार्ड है। वादी अपने 1/3 हिस्से की कृषि आराजी को उन्नत व उपजाउ बनाना चाहता है लेकिन वादग्रस्त कृषि आराजी संयुक्त होने से मौके पर पक्षकारान के मध्य बंटवाड़ा नही होने के कारण आये दिन कृषि भूमि को काश्त करने व फसल काटने के दौरान अनावश्यक विवाद होते रहते है। अतः वादी के पक्ष मे व प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के विरूद्व वादपत्र के पेरा संख्या 1 मे वर्णित कृषि आराजीयात का वादपत्र की पेरा संख्या 2 मे दर्ज वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर बंटवाड़ा करने की डिक्री बनाई जावे व वादी को अपने हक हिस्से अनुसार 1/3 हिस्से का खाता प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 से अलग किया जावे। पक्षकारान के मध्य माप परिमाप के आधार पर बंटवाड़ा करने के पश्चात् जमाबन्दी मे अंकन कराया जाकर नक्शा ट्रेस मे तरमीम कराया जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 09.06.2014 को प्रतिवादीगण 1 लगायत 4, 8 की ओर से श्री भगवान मीणा, अभिभाषक ने अपना अधिकार पत्र पेश किया। प्रतिवादी नं0 10 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। दिनांक 20.04.2015 को प्रतिवादीगण को जवाबदावा हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। प्रतिवादीगण 6 व 7 बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। दिनांक 09.01.2017 एवं 24.04.2017 को 100/– रूपये, 100/– रूपये कोस्ट पर प्रतिवादीगण को जवाब दावा हेतु अवसर दिया गया किन्तु जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया। दिनांक 07.06.2017 को वादी मय अभिभाषक उपस्थित प्रतिवादी नं0 1, 2 व 4 ने उपस्थित होकर मौखिक बताया कि राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा किये जाने पर कोई आपत्ति नही है। अभिभाषक वादी द्वारा प्रतिवादी नं0 5, 9 व 10 के विरूद्व कार्यवाही नही चाहने बाबत निवेदन किया, जिससे उनके विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की जाती है। प्रकरण एवं प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2068–71 ग्राम डाबला चान्दा के खाता संख्या 124 खसरा नम्बर 1133 रकबा 0.53 है0, आ0न0 1134 रकबा 0.39 है0 का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी मे वादी बलदेव पिता सोबक्ष मीणा निवासी डाबला चान्दा का 1/3 हक हिस्सा निहित होकर इसी अनुरूप बंटवाड़ा चाहते है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 रा0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के इस आशय की जारी की जाती है। बाके ग्राम डाबला चान्दा प0ह0 डाबला चान्दा तहसील शाहपुरा मे स्थित खाता संख्या 124 आ0न0 1133 रकबा 0.53 है0, आ0न0 1134 रकबा 0.39 है0 कुल किता 2 रकबा 0.92 है0 मे से वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण 2 लगायत 8 के 1/3 हिस्सा अनुसार माप परिमाप पद्वति के आधार पर मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति मे बंटवाड़ा कर नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 07.06.2017 को केम्प डाबला चान्दा सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2017

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री के आर खोड़, RAS

श्री [illegible] .... बनाम श्री [illegible]

[illegible] – वादी

[illegible]

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 RTA

मुकदमा नम्बर 35 सन् 14 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती हैं कि :–

[illegible]

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख द मुतबाकी तक अदा करें ।

बाबत सेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 7 माह 2 सन् 17

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)